# कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

## !! निविदा सूचना !!

क्रमांक 40/जल/नि0–2017–18 राजनांदगांव दिनांक 22/08/17

नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत नल घर मोहारा फिल्टर प्लांट में लैब सामग्री हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम श्रेणी में पंजीकृत एवं एकीकृत पंजीयन प्रणाली के "डी" वर्ग में पंजीकृत ठेकेदारों से नान एस.ओ.आर. आयटम दर प्राक्कलन के आधार पर फार्म "बी" में मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेगें।

1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– 11/09/2017 शाम 5.00 बजे तक

2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि :– 13/09/2017 को

संध्या 4.30 बजे कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

| क्रं. | कार्य का नाम | अनुमानित राशि (लाखो में) | अमानति राशि | निविदा प्रपत्र मुल्य | निविदा प्रपत्र श्रेणी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नल घर मोहारा फिल्टर प्लांट में लैब सामग्री प्रदाय कार्य | 3.92 | 4000.00 | 750.00 | बी. फार्म | |

**शर्तेः–**

1 अमानत राशि संयुक्त रूप से आयुक्त एवं निविदाकार के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार किये जायेगें।

2 संधारण/वारंटी की अवधि 01 वर्ष की होगी।

3 कोई भी निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

4 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

6 निविदाकार को आवेदन के साथ वाणिज्यकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की छायाप्रति एवं जीवित पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

7 5 प्रतिशत राशि परफारमेंस गारंटी के रूप में रोकी जावेगी। जिसका भुगतान सामग्री के संतोषपर्द वर्किंग के पश्चात किया जावेगा।

(हस्ताक्षर) 22/08/17
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

पृ.क्रमांक 41/जल/ नि0–2017–18 राजनांदगांव दिनांक 22/08/17

1 माननीय महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।

2 प्रभारी सदस्य,जल विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

3 कार्यालय ———————————————— नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

4 डाटा सेंटर प्रभारी, विभागीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

(हस्ताक्षर) 22/08/17
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

## // निविदा की अन्य शर्ते //

1. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
2. निविदा प्रस्तुत करने से तात्पर्य होगा कि प्रस्तुतकर्ता की निविदा में दर्शायी गयी समस्त शर्तो से सहमत है एवं यह उन्हे मान्य है।
3. सफल निविदाकार को सूचना मिलने से 7 दिनों के अंदर इकरारनामा करना आवश्यक होगा, इसके अभाव में अमानति राशि निगम कोष में राजसात की जावेगी तथा अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार अथवा रद्द करने का समस्त अधिकार नगर निगम, राजनांदगांव के पास सुरक्षित रहेगें तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दावा अपील ग्रहण नही किये जावेंगे। साथ ही विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट–छांट या अपलेखन मान्य नही किये जावेगें। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
6. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा।
7. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
8. भुगतान के समय प्रचलित कर व्यवस्था के आधार पर करों की कटौती की जावेगी।
9. निविदा से सबंधित विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी जल विभाग से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते है।
10. निविदा के साथ नियम एवं शर्ते पर सहमति निविदाकार को मान्य होगा।
11. ठेकेदार द्वारा निचे दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से किये गये कार्य के मूल्य का दस प्रतिशत तक राशि कटौती की जावेगी।
12. आहूत की गई निविदा तिथि में किसी कारणवश अवकाश होने पर निविदा कार्य अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जावेगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किया जावेगा।
13. निविदा को किसी भी अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को होगा।
14. दर प्रति यूनिट समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगा।
15. दस्तावेज के साथ स्पेशिफिकेशन अनुसार केटलाग प्रस्तुत करना होगा।

22/08/17

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव